[2018] 3 एस.सी.आर. 1004

ए. के. के. गुप्ता और अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 3731 वर्ष 2018)

अप्रैल 11, 2018

[कुरियन जोसेफ, मोहन एम. शांतानागौदार और नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 - अवमानना कार्यवाही - का दायरा - उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएँ - दिनांक 17.5.12 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश पारित किया और दिशानिर्देश तैयार होने तक, निर्णय की तारीख के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया - दिशानिर्देश तैयार किए गए - प्रतिवादियों ने अवमानना याचिका दायर की और आरोप लगाया कि उक्त दिशानिर्देश दिनांक 17.5.2012 के फैसले का उल्लंघन थे - उच्च न्यायालय ने माना कि बनाए गए दिशानिर्देश फैसले का उल्लंघन थे और साथ ही आगे के आदेश भी जारी किए - माना गया: 17.5.2012 को दिए गए यथास्थिति आदेश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ - यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश केवल दिशानिर्देश तैयार होने तक था - एक बार दिशानिर्देश तैयार हो जाने के बाद, यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश की अवधि भी समाप्त हो गई और उसके बाद, क्षेत्र को नए दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाना था - अवमानना क्षेत्राधिकार में, न्यायालय उस निर्णय के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता है जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है -विवादित आदेश निरस्त किया जाता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा:-

1.1 उच्च न्यायालय के रुख की सराहना करना बहुत मुश्किल है कि 17.05.2012 को दिए गए यथास्थिति आदेश का उल्लंघन हुआ था। यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश केवल दिशानिर्देश तैयार होने तक था। एक बार दिशानिर्देश तैयार हो जाने के बाद, यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश की अवधि भी समाप्त हो गई और उसके बाद, इस क्षेत्र को 21.05.2014 को तैयार और अधिसूचित नए दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाना था। यदि उत्तरदाता, किसी भी तरह से, दिशानिर्देशों से व्यथित हैं, तो यह उनका काम है कि वे उचित उपाय करें, लेकिन अवमानना की कार्यवाही नहीं करें। अवमानना क्षेत्राधिकार में, न्यायालय उस निर्णय के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता, जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है। अवमानना कार्यवाही में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र यह देखना है कि क्या किसी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है या फैसले को टालने का कुत्सित प्रयास किया गया है। बिना यह कहे कि बाकी मामलों को अन्य

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उचित कार्यवाही में आगे बढ़ाने के लिए पीड़ित पक्ष पर छोड़ दिया जाना चाहिए। [पैरा 7][1007-सी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3731 वर्ष 2018

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय और आदेश दिनांक 28.05.2015 के विरुद्ध सीओपीसी संख्या 587 वर्ष 2014 में ।

साथ

सीए नंबर 9310 वर्ष 2016 और सीए नंबर 3732 वर्ष 2018

तुषार मेहता, संदीप सेठी, एएसजी, रवि प्रकाश, सुश्री इति अग्रवाल, अंकित जैन, मोहित दरार, चंद्र प्रकाश, सुश्री वर्निका तोमर, रितेश कुमार, मुकुल सिंह, एस.ए. हसीब, राज बहादुर यादव, कौशल यादव उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति कुरियन द्वारा सुनाया गया।

एसएलपी (सी) क्रमांक 22843 वर्ष 2015

1. अनुमती प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका (सीओपीसी) संख्या 587 वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा जारी दिनांक 28.05.2015 के निर्देश से व्यथित हैं। प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार दिनांक 17.02.2014 को बनाए गए नीति दिशानिर्देश दिनांक 17.05.2012 के निर्णय की भावना का उल्लंघन हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि यह कोर्ट द्वारा की गई अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन है। विवाद की सराहना करने के लिए, दिनांक 17.05.2012 के निर्णय के ऑपरेटिव भाग को निकालना आवश्यक है, जो इस प्रकार है: -

"42. नतीजतन, यहां ऊपर की गई टिप्पणियों और विश्लेषण के मद्देनजर, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 को आज से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को अधिसूचित करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 तक को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 9.6.2011 को आयोजित बैठक में पैरा 7 के अनुसार अनुमोदित कार्यवाही का अनुपालन आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर करें। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 अंतिम निर्णय लेगा और नए रिटेल आउटलेट खोलने पर उचित दिशानिर्देश/दिशानिर्देश/निर्देश जारी करेगा। तब तक, पार्टियों को आज की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

3. हमें नहीं लगता कि आदेश में कोई अस्पष्टता है। निर्देश केवल दिशानिर्देश तैयार करने के लिए था और जब तक दिशानिर्देश तैयार नहीं हो जाते, तब तक फैसले की तारीख के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश था।

4. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 17.02.2014 को दिशानिर्देश तैयार किए गए और 21.05.2014 को अधिसूचित किया गया। इस प्रकार तैयार किए गए दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 4डी इस प्रकार है:-

"डी पहले के एसआरएमपी का मौजूदा रोस्टर और बैक लॉग स्थानों का विज्ञापन:-

पहले के दिशानिर्देशों के तहत बनाए गए पुराने एसआरएमपी के मौजूदा रोस्टर को जुलाई 2012 में फ्रीज और बंद कर दिया गया है। जिन स्थानों पर पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है और जो कमीशनिंग के विभिन्न चरणों में हैं, उन्हें उनकी विज्ञापन शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। उद्योग ओएमसी की प्रचलित मार्केटिंग योजनाओं के तहत 01.04.2002 के बाद जारी किए गए विज्ञापन के तहत कमीशन किए गए/सीओसीओएस विनिवेशित आउटलेट और एलओआई के आधार पर एससी/एसटी श्रेणी के तहत स्थानों के लिए बैकलॉग पर काम करेगा और उसका विज्ञापन करेगा।''

5. अवमानना याचिका में दिए गए आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने माना कि कंपनियों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश फैसले का उल्लंघन हैं। उच्च न्यायालय ने अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आगे के आदेश भी जारी किये। प्रासंगिक सीमा तक आदेश पैराग्राफ 12 पर है, जो इस प्रकार है:-

"इस प्रकार, सीडब्ल्यूपी संख्या 3723 वर्ष 2010 दिनांक 17.5.2012 में इस न्यायालय के फैसले को अक्षरश: लागू करने के लिए, उत्तरदाताओं को पुराने मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है, जो याचिका दायर करने के समय भी लंबित थे।"

नए दिशानिर्देशों के अनुसार।

तदनुसार, याचिका का निपटारा किया जाता है और नोटिस को खारिज किया जाता है। कोई लागत नहीं।”

6. व्यथित, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं।

7. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और संबंधित प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री वर्निका तोमर को सुना है। जैसा कि हमने पहले ही ऊपर संकेत दिया है, उच्च न्यायालय के रुख की सराहना करना बहुत मुश्किल है कि 17.05.2012 को दिए गए यथास्थिति आदेश का उल्लंघन है। यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश केवल दिशानिर्देश तैयार होने तक था। एक बार दिशानिर्देश तैयार हो जाने के बाद, यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश की अवधि भी समाप्त हो जाती है और उसके

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बाद, क्षेत्र को 21.05.2014 को तैयार और अधिसूचित नए दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाना है। यदि उत्तरदाता, किसी भी तरह से, दिशानिर्देशों से व्यथित हैं, तो यह उनका काम है कि वे उचित उपाय करें, लेकिन अवमानना की कार्यवाही नहीं करें। अवमानना क्षेत्राधिकार में, न्यायालय उस निर्णय के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता, जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है। अवमानना कार्यवाही में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र यह देखना है कि क्या किसी निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा की गई है या फैसले को टालने का कुत्सित प्रयास किया गया है। बिना यह कहे कि बाकी मामलों को अन्य उचित कार्यवाही में आगे बढ़ाने के लिए पीड़ित पक्ष पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तदनुसार, दिनांक 28.05.2015 का आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है और उपरोक्तानुसार अपील स्वीकार की जाती है।

सिविल अपील संख्या 9310 वर्ष 2016 और एसएलपी (सी) संख्या 1865 वर्ष 2016

1. एसएलपी (सी) क्रमांक 1865 वर्ष 2016 में अनुमती प्रदान की गई।

2. ऊपर पारित निर्णय के मद्देनजर, इन अपीलों का निपटारा किया जाता है।

लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाए।

दिव्या पांडे अपीलें निस्तारित।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"